

Order Sheet [Contd]

Case No.----- of 20-----

Date of Order of Proceeding	Order of Proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of parties or Pleaders where necessary
10-02-2018	<p>प्रक्र. 644 / 16 दिनांक 10.02.2018 खण्ड पीठ-20</p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश। परिवादी रामबाई सहित अधिवक्ता श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव उपस्थित। आरोपी रामचरण श्रीवास्तव सहित अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव उपस्थित। प्रकरण आज राजीनामा हेतु नियत है। आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट भरकर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का विचारण चल रहा है। आरोपी पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है। परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। परिवादी द्वारा स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया गया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोक नीति के अनुरूप है। आरोपी द्वारा परिवादी साक्ष्य के प्रक्रम पर राजीनामा किया गया है। अतः आरोपी के निर्देशित किया गया जाता है कि वह विवादित चैक की राशि 36,665/-रुपये की एक प्रतिशत राशि 367/-रुपये शास्ति के रूप में न्यायालय में जमा करें। आरोपी द्वारा आदेश के पालन में 367/-रुपये की राशि बुक क्रमांक रसीद क्रमांक पर जमा की गई।</p> <p>परिवादी द्वारा आरोपी से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लेना व्यक्त किया गया है। उभयपक्षों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं। आरोपी द्वारा शास्ति जमा की जा चुकी है। अतः वाद विचार राजीनामा स्वीकार किया गया एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>सही /— (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी०गोहद खण्डपीठ क्र०20 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)